


(29)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व पण्डित गवांग्लियर सर्किट कोटी रीवा, जिलारीवाम्ब्र०

निगरानी प्रकरण क्र० / 2015

R. 5073-5/15-

श्री मुकुट पुत्राम्ब्र०
दायरा 28.9.15
[Signature]



कृष्ण वुमार तनय श्री रामसिया ब्रा०, निवासी ग्राम हरदुआ, तहसील
सेपरिया जिलारीवा म०ब्र० ----- ----- आवेदक

434
28.9.15

विराज्ञ

1- शेषामणि

2- रामजी

3- मुवंडिका प्रसाद

4- रामराम तनय रामेश्वरराम ब्रा०, निवासी ग्राम हरदुआ, थाना सेरिया,

तहसील सेपरिया, जिलारीवा म०ब्र०

अनावेदकाण्ठ

पुनरीकाण्ठा अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०

मूँ राजस्व संहिता सन 1959 द्वारा विराज्ञ

आदेश के०प० राही अपर कमिउनर

रीवा संभाग रीवा म० प्र० दि० 11-8-15

जो प्रकरण क्र० 1341/अपील/०६-०७ मे

पारित ।

मान्यवर

पुनरीकाण्ठा आवेदनपत्र अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारोंपर

प्रस्तुत है:-

1- अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11-8-15 संधिया विधि

31

XXXIX(a)-BR(H)-11

7

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. ५०७३-II/१५ जिला रीया

कृष्णकुमार बहा / शोधमीण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.11.16 (62)	जनश्वर खेती वदायी गयी।	19/11/16 रीडर
22.12.16 (126)	<p>1. आवेदक अभिभाषक श्री शिवमुखादि द्वारा लिखा</p> <p>2. अनां० अभिभाषक श्री शू. सू. निम्रा ...उप०</p> <p>3. मान सदस्य महो० का आज रीवा आगमन नहीं हो सका</p> <p>4. वास्ते छेत्रप्रभारी पर तक पेशी तारीख. १३-१-१७</p>	मान से रीडर
19-1-17 (3)	<p>1. आवेदक अभिभाषक श्री शिवमुखादि द्वारा लिखा</p> <p>2. अनां० अभिभाषक श्री शू. सू. निम्रा ...उप०</p> <p>3. मान सदस्य महो० का आज रीवा आगमन नहीं हो सका</p> <p>4. वास्ते छेत्रप्रभारी पर तक पेशी तारीख. २०-१-१७</p>	मान से रीडर
21/2/17.	<p>उन्हें उन्होंने अर्जित वार्ता दी।</p> <p>उन्हें इस प्रकार नहीं प्रेत कर्त्ता का अनुशोध किया</p> <p>उन्हें के अनुशोध पर प्रकार नहीं प्रेत कर्त्ता का</p> <p>दोषात् दिया गया है। प्रकार राज्यीय दिया है।</p>	सरकार 21/2/17 रीडर